राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. आपराधिक विविध (पे.) संख्या 1074/2018

1. विमल चंद बोहरा पुत्र स्व. श्री पारसमल बोहरा
2. उत्तम चंद बोहरा पुत्र स्व. श्री पारस मल बोहरा, दोनों जाति जैन, निवासी फोलावा, वास्पुजी मंदिर के पास, जालोर, वर्तमान में होम गार्ड कार्यालय, राजेंद्र नगर, जालोर राजस्थान के सामने निवासरत।

----अपीलार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य
2. सीमा पत्नी हरीश मुनोत, पुत्री स्वर्गीय श्री पारसमल जी बोहरा, निवासी फोलावास, वास्पुजी मंदिर के पास, जालोर राज.

----प्रतिवादीगण

अपीलार्थी(गण) के लिए	:	श्री विमल चंद बोहरा, व्यक्तिगत रूप से उपस्थित, पी.1
प्रतिवादी(गण) के लिए	:	श्री गौरव सिंह, पीपी सुश्री सीमा, व्यक्तिगत रूप से उपस्थित, आर.2

माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

आदेश

13/08/2024

1. पुलिस स्टेशन जालोर, जिला जालोर में दिनांक 18.02.2016 को दर्ज एफआईआर संख्या 53/2016 को रद्द करने तथा भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 467, 468, 420 तथा 120-बी के अंतर्गत कथित अपराधों के लिए सभी परिणामी कार्यवाही की मांग की गई है।

2. याचिकाकर्ता शिकायतकर्ता के दो सगे भाई हैं तथा संबंधित एफआईआर में आरोपी हैं।

3. विमल चंद बोहरा तथा उनकी बहन सीमा (शिकायतकर्ता) व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित हैं तथा मैंने उनसे बातचीत की है।

4. कुछ विचार-विमर्श के पश्चात तथा न्यायालय के अनुनय-विनय पर उन्होंने भविष्य में परिवार में सौहार्द, शांति तथा सौहार्द बनाए रखने के लिए अपने मतभेदों को दूर करने का निर्णय लिया है।

5. कहने की जरूरत नहीं कि उनका सौहार्दपूर्ण व्यवहार परिवार को एकजुट रखने में भी काफी मददगार साबित होगा और इसका फल अगली पीढ़ी को भी मिलेगा। अतीत की दुश्मनी को देखते हुए अब तक उनके बीच कटुता रही है। याचिकाकर्ता भाई ने अब अपनी बहन को आगामी रक्षाबंधन के त्यौहार पर खुली अदालत में आमंत्रित किया है, जो 19.08.2024 को है और सभी परिवार के सदस्यों की मौजूदगी में राखी की रस्म अदा करने के लिए आमंत्रित किया है।

6. शिकायतकर्ता यानी बहन ने भी अतीत पर बहुत भावनात्मक रूप से पश्चाताप किया है। उसने कहा कि वह उन दोनों के बीच पुराने सौहार्द को फिर से स्थापित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी, अब जबकि उसके भाई ने उसके साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करने की उदारता दिखाई है, वह अपने भाइयों के खिलाफ एफआईआर में आरोप नहीं लगाएगी।

7. यह न्यायालय विशेष रूप से याचिकाकर्ता की बहन के आचरण की सराहना करता है जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है।

8. इसके अलावा, कानूनी प्रणाली का प्राथमिक उद्देश्य न केवल विवादों का निपटारा करना है, बल्कि सद्भाव को बढ़ावा देना भी है, खासकर परिवारों के भीतर। एफआईआर को रद्द करने से सुलह की सुविधा मिलेगी, जिससे शांति बढ़ेगी और परिवार पर भावनात्मक और वित्तीय तनाव कम होगा।

9. इसके अलावा, मामला एक जघन्य अपराध के बजाय एक नागरिक विवाद से उपजा प्रतीत होता है। अंतर्निहित मुद्दे सार्वजनिक सुरक्षा चिंताओं से जुड़े होने के बजाय अधिक व्यक्तिगत या संपत्ति से संबंधित हो सकते हैं। दोनों पक्षों, विशेष रूप से शिकायतकर्ता (सीमा) ने पिछली शिकायतों को माफ करने और भूलने की इच्छा व्यक्त की है।

7. परिणामस्वरूप, क्षमा, समझदारी और पारिवारिक बंधनों को बनाए रखने के सामाजिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए, तथा पक्षों के बीच वर्तमान सौहार्द को देखते हुए, पुलिस स्टेशन जालोर, जिला जालोर में दर्ज एफआईआर संख्या

53/2016 दिनांक 18.02.2013 तथा आईपीसी की धारा 467, 468, 420 और 120-बी के तहत अपराधों के लिए सभी परिणामी कार्यवाही को रद्द किया जाता है।

8. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का भी निपटारा किया जाता है।

(अरुण मोंगा),जे

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।
अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।